पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 02 अभियुक्त में गिरफ्तार।

दिनांक 04–12–2022

दिनांक 03/04–12–2022 को रात्रि थाना आशियाना 01, थाना गौतमपल्ली 01, थाना माल 01 अभियुक्त व एन0बी0डब्लू0 में थाना बीकेटी 01, थाना निगोंहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना अलीगंज–दिनांक 04.12.2022 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री राकेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 महादेव प्रसाद गौतम निवासी–अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि वादी अपने घर पर दुकान खोलकर अपने भाईयों की मदद से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आज दिनांक 04.12.2022 को समय करीब 03.30 बजे वादी का भाई दीपू गौतम अपने हॉफ डाला गाड़ी सं0 यूपी 32 जीएन 1977 से आजमगढ़ से वापस लखनऊ अपने घर आया था। वादी की दुकान के पास चाय की दुकान पर ऋषभ श्रीवास्तव व अनुज गुप्ता से गाड़ी को हटाने को लेकर कहासुनी हो गयी। वादी का भाई दीपू गौतम अपना डाला लेकर आगे आया तो उक्त दोनों व्यक्ति ऋषभ श्रीवास्तव व अनुज वादी के भाई का पीछा करते हुए वादी के घर तक आ गये और लड़ाई झगड़ा करने लगे, शोर सुनकर वादी व वादी का भाई मुकेश गौतम घर से बाहर आकर बीच–बचाव करके समझौता करा दिया। थोड़ी देर बाद ऋषभ, अनुज अपने साथियों के साथ महिन्द्रा एक्सयूीव 500 गाड़ी नं0 डीएल 8सी एसी 2261 से आये ऋषभ व अनुज के साथ साहिल सोनकर पुत्र जयप्रकाश सोनकर निवासी–त्रिवेणीनगर द्वितीय थाना अलीगंज लखनऊ व अन्य 10 से 12 लोगों द्वारा वादी के घर के सामने आकर गालीगलौज करते हुए वादी व उसके भाइयों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, वादी व उसके भाइयों ने किसी तरह से बचकर अपनी जान बचायी। लेकिन ऋषभ, अनुज साहिल सोनकर व उनके साथियों ने एक राय होकर पुनः गाड़ी आगे ले जाकर वादी व उसके भाइयों दीपू व मुकेश को जान से मारने की नीयत से सामने से गाड़ी को वादी व उसके भाईयों पर चढ़ा दिया, जिसमें वादी व उसका भाई मुकेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गये व वादी का भाई दीपू गौतम की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वादी अपने भाई को परिजनों की सहायता से ट्रामा सेंटर ले गये जहां पर डाक्टरों द्वारा वादी के भाई दीपू गौतम उम्र करीब 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 416/2022 धारा 147/302/307/504 भादवि व धारा 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट का अभियोग बनाम 01–ऋषभ श्रीवास्तव 02–अनुज गुप्ता 03–साहिल सोनकर व 10 से 12 अन्य अज्ञात लोग के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 04.12.2022 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया वादिनी श्रीमती प्रेमशीला देवी पत्नी शिवबालक सिंह निवासी–ग्राम बतरौली थाना तृर्कपट्टी जनपद कुशीनगर ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि वादिनी ने अपनी पुत्री अर्चना सिंह उम्र 26 वर्ष की शादी दिनांक 07.12.2021 को हिन्दू रीति रिवाज से आदित्य सिंह पुत्री गोरख सिंह निवासी–मकान नं0 107 सी0एस0ए0 नगर कालोनी दरोगा खेड़ा सरोजनीनगर लखनऊ के साथ की थी। शादी में वादिनी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। किन्तु दहेज से वादिनी की पुत्री के ससुर गोरख सिंह, सास लवंगी देवी, पति आदित्य सिंह उर्फ कृषु खुश नहीं थे तथा वादिनी के पुत्री को आये दिन मारते व प्रताड़ित करते रहते थे व वादिनी के बेटी से कहते थे कि तुम्हारे मां–बाप ने कुछ नहीं दिया। वादिनी की पुत्री का पति आदित्य हमेशा कहता था कि उसके दुकान को बढ़ाने के लिये अपने मां–बाप से 04 लाख रूपये मांग कर लाओ। दहेज के लिए वादिनी के पुत्री के ससुरालीजन वादिनी की पुत्री को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। वादिनी की पुत्री को सुंदरता को लेकर भी आदित्य व उसके माता पिता के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। वादिनी की पुत्री चार माह की गर्भवती थी इसके बावजूद भी आदित्य व उसके माता–पिता वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित करते व यातनायें देते थे। आज दिनांक 04.12.2022 को समय करीब 08.00 बजे सुबह को वादिनी ने अपनी पुत्री से फोन से बात किया था तो तब तक सही सलामत थी। सुबह करीब 09.15 बजे वादिनी के जेठ को किसी ने सूचना दिया कि तुम्हारी बेटी अस्पताल में है। इस सूचना पर वादिनी अपने बेटे के साथ अस्पताल सरोजनीनगर आयी तो देखा कि वादिनी की बेटी अर्चना मृत अवस्था में मिली। वादिनी के पति आदित्य सिंह व उसके परिवार के लोगों ने वादिनी की पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दिया है। **इस सूचना पर थाना सरोजनी पर मु0अ0सं0 570/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 01–आदित्य सिंह(पति) 02–गोरख सिंह (ससुर) 03–लवंगी देवी(सास) के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोसाईगंज–दिनांक 04.12.2022 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि सीएचसी गोसाईगंज द्वारा एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 03.12.2022 को एक व्यक्ति विशाल भारती पुत्र शत्रोहन भारती निवासी अचली खेड़ा थाना नगराम, लखनऊ को इस चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस से इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मो0नं0 9415690307 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.12.2022 को समय करीब 04.30 बजें सांय को विशाल भारती अपने निजी कार्य से अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि रास्ते में जगन्नाथगंज के पास एक डीसीएम नं0 यूपी 42 एटी 9647 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर विशाल भारती की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया गया, जिसे इलाज के लिए सीएचसी गोसाईगंज ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने विशाल भारती उम्र करीब 26 वर्ष को मृत घोषित कर दिया।